



BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India – 334006

T: +91-151-2250350 | F: +91-151-2251814 | E: cs@bikaji.com | W: www.bikaji.com

CIN: L15499RJ1995PLC010856 | GST No.: 08AAICS1030P1Z5

Ref: BFIL/SEC/2023-24/122

Date: November 04, 2023

To,
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)
Scrip Code: 543653

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)
Trading Symbol: BIKAJI

Sub: Copy of the newspaper advertisement for notice of hearing of the company petition filed before the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench ("NCLT")

Ref: Scheme of Amalgamation of Hanuman Agrofood Private Limited ("Transferor Company") with Bikaji Foods International Limited ("Transferee Company" or "Company") and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder ("Scheme of Amalgamation")

Dear Sir / Madam,

In the matter of the Scheme of Amalgamation, the Hon'ble NCLT in Company Petition No. CP(CAA) 05/230-232/JPR/2023 ("Company Petition"), has admitted the said Company Petition and by order dated October 20, 2023 ("Order of NCLT") fixed the next date of hearing of the said Scheme of Amalgamation before the Hon'ble NCLT on **Wednesday, December 20, 2023**.

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and applicable provisions of the Act, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement published today i.e., **November 04, 2023** regarding notice of date of hearing of the Company Petition filed before the Hon'ble NCLT in below newspapers: -

Sr. No.	Newspaper	Language	Edition
1.	Financial Express	English Language	All edition
2.	Nafa Nuksan	Vernacular (Hindi) Language	All edition

In compliance with the Listing Regulations, the above information will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.bikaji.com.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Bikaji Foods International Limited**

Rahul Joshi
Head – Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As Above

जलवायु अनुकूलन के लिए धन की कमी विकासशील देशों को डालती है उच्च जोखिम में



नयी दिल्ली/एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जलवायु जोखिम और इसके प्रभावों के गंभीर होने के स्पष्ट संकेतों के बावजूद अनुकूलन संबंधी वित्तीय आंकड़ों में अंतर बढ़ रहा है और अब यह प्रति वर्ष 194 अरब अमेरिकी डॉलर से 366 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता से पहले जारी की गई 'अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2023' से पता चलता है कि विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताएं 10-18 गुना हैं जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह के क्रम में पिछली सीमा के अनुमान से 50 प्रतिशत अधिक है। अनुकूलन वित्त अंतर विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुमानित लागत और इस लागत को पूरा करने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा के बीच का अंतर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रिपोर्ट पर अपने संदेश में कहा, आज की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट ऐसे समय जरूरत और कार्रवाई के बीच बढ़ते विभाजन को दर्शाती है, जब लोगों को जलवायु संबंधी चरम घटनाक्रमों से बचाने की बात आती है।'

लोगों और प्रकृति की रक्षा के लिए कार्रवाई पहले से कहीं अधिक जरूरी है। उन्होंने कहा, जीवन और आजीविका खो रही है तथा नष्ट हो रही है। हम एक अनुकूलन आपातकाल में हैं। हमें अनुकूलन अंतर को कम करने के लिए अभी कदम उठाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की कार्यकारी निदेशक इंगेर एंडर्सन ने कहा, '2023 में, जलवायु परिवर्तन फिर से अधिक विघटनकारी और घातक हो गया। तापमान रिकॉर्ड और खराब हुआ तथा तूफान, बाढ़, लू और जंगल की आग ने तबाही मचाई। ये तीव्र होते प्रभाव हमें बताते हैं कि दुनिया को तत्काल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए और संवेदनशील आबादी की रक्षा के लिए अनुकूलन प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।' रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में सार्वजनिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अनुकूलन वित्त प्रवाह 2021 में 15 प्रतिशत घटकर लगभग 21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में 2019 के अनुकूलन वित्त समर्थन को दोगुना करके 2025 तक प्रति वर्ष लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर करने का वादा किया गया था। एंडर्सन ने कहा, अनुकूलन कार्रवाई के लिए वित्तीय मदद प्रदान

करने के नए तरीके खोजने की आवश्यक है। उन्होंने कहा, न तो विकासशील देशों के लिए 2019 के अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रवाह को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य और न ही 2030 के लिए संभावित नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य उनके अनुकूलन वित्त अंतर को काफी हद तक कम कर पाएगा।

रिपोर्ट में एक अध्ययन की ओर इशारा किया गया है जो दर्शाता है कि अकेले 55 सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले दो दशकों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की हानि और क्षति का अनुभव किया है। आने वाले दशकों में यह लागत तेजी से बढ़ेगी, खासकर सशक्त शमन और अनुकूलन के अभाव में। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि तटीय बाढ़ को लेकर अनुकूलन में निवेश किए गए प्रत्येक अरब डॉलर से आर्थिक क्षति में 14 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आती है। इस बीच, कृषि में प्रति वर्ष 16 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जलवायु प्रभावों के चलते जलवायु 7.8 करोड़ लोगों को भूख से मरने या दीर्घकालिक भूख से मरने से बचाएगा। रिपोर्ट में घरेलू व्यय, अंतरराष्ट्रीय वित्त और निजी क्षेत्र सहित वित्त व्यवस्था बढ़ाने के सात तरीकों की पहचान की गई है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच के समक्ष

कंपनी याचिका संख्या सीपी (सीए) 05/230-232/जेपीआर/2023 संबंधित

कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीए) 02/230-232/जेपीआर/2023 कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में ;

एवं
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम 2016 की अनुपालना में एवं

हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड के बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में समामेलन की योजना एवं उनके संबंधित शेयरधारकों व लेनदारों के मामले में

हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन : यू15310आरजे2012पीटीसी039805), कंपनी अधिनियम 1956

के प्रावधानों के तहत पंजिकृत एक कंपनी जिसका पंजिकृत कार्यालय एफ-196-197,

बीछवाल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334006, राजस्थान, भारत में स्थित है

...हस्तांतरणकर्ता कंपनी/याचिकाकर्ता 1/एचपीएल

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड

(सीआईएन : एल15499आरजे1995पीएलसी010856), कंपनी अधिनियम 1956

के तहत पंजिकृत एक कंपनी जिसका पंजिकृत कार्यालय एफ 196-199,

एफ 178 एवं ई188, बीछवाल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334006,

राजस्थान, भारत में स्थित है

...हस्तांतरित कंपनी/याचिकाकर्ता 2/बीएफआईएल

(याचिकाकर्ता कंपनी संख्या 1 व 2 को सम्मिलित तौर पर 'याचिकाकर्ता कंपनियों' कहा जायेगा)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच के समक्ष दाखिल किये गये कंपनी की याचिका की सुनवाई का नोटिस

नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 230(1) व 232(1) के प्रावधानों, अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम 2016 की अनुपालना में बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड एवं इनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के समामेलन की योजना को मंजूरी देने का आदेश प्राप्त करने हेतु कंपनी याचिका संख्या सीपी (सीए) संख्या 05/230-232/जेपीआर/2023 संबंधित कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीए) संख्या 02/230-232/जेपीआर/2023 को याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से गुरुवार 12 अक्टूबर, 2023 ('याचिका') को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच ('एनसीएलटी') के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायाधिकरण द्वारा दाखिल कर लिया गया था व शुक्रवार 20 अक्टूबर, 2023 के आदेश में उक्त याचिका की सुनवाई के लिए माननीय एनसीएलटी ने बुधवार 20 दिसंबर, 2023 को दिनांक तय की है।

उक्त याचिकाकर्ता कंपनियों से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका के पक्ष या उसके खिलाफ अपना मत रखता है तो उसे इससे संबंधित स्वयं या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को अपने पूरे नाम व पते के साथ माननीय एनसीएलटी द्वारा उक्त याचिका के लिए तय की गई सुनवाई की दिनांक से 2 दिन पहले संबंधित याचिकाकर्ता कंपनी के पंजिकृत कार्यालय/और वकील को भेजना होगा। उक्त याचिका के खिलाफ मत रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके विरोध के आधार या इस संबंध में उसके एफिडेविट की प्रति माननीय एनसीएलटी के समक्ष दाखिल की जायेगी। इसकी एक प्रति संबंधित याचिकाकर्ता कंपनी को भी माननीय एनसीएलटी द्वारा उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए तय दिनांक से 2 दिन पूर्व प्रेषित करनी होगी।

उक्त याचिका की प्रति, जैसाकि माननीय एनसीएलटी के समक्ष दाखिल की गई है, किसी भी कारोबारी दिवस शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ माननीय एनसीएलटी द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई दिनांक से 2 दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।

हस्ता/-

सिद्धांत सूर्या

याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए वकील

युनिट संख्या 3, तीसरी मंजिल,

ग्लोबल फोर, सेक्टर 43,

गुरुग्राम, हरियाणा 122002

दिनांक : नवंबर 3, 2023

स्थान : गुरुग्राम

MARUTI SUZUKI

INNOVATING FOR A GREENER FUTURE

CNG SAVES, NOW AND FOREVER

RIDE SMART WITH MARUTI SUZUKI'S RANGE OF FACTORY FITTED CNG & HYBRID CARS

A NEW BREED OF SUVs

INTRODUCING GRAND VITARA



THE ALL-NEW
XLE
TIME TO INDULGE

26.32^{***}
km/kg CNG



THE NEW AGE
BALENO
LIFESTYLE GOES BOLD

30.61^{***}
km/kg CNG



INTELLIGENT
ELECTRIC

HYBRID

27.97^{***}
(km/l.)⁷



EV MODE

CHOOSE THE SMARTER CNG.
CHOOSE MARUTI SUZUKI S-CNG.

Get the best of performance, safety and savings with
Maruti Suzuki Factory-Fitted S-CNG Technology.

10
LAKH

PROUD S-CNG OWNERS



34.05^{***}
km/kg CNG
WAGONR

33.85^{***}
km/kg CNG
ALTO (K10)

32.73^{***}
km/kg CNG
S-PRESSO

26.11^{***}
km/kg CNG
ERTIGA

25.51^{***}
km/kg CNG
BREZZA

31.12^{***}
km/kg CNG
DZIRE

30.90^{***}
km/kg CNG
SWIFT

35.60^{***}
km/kg CNG
CELERIO

26.78^{***}
km/kg CNG
EECO

BHATIA & COMPANY

NEXA SHOWROOM : KOTA (SANGOD, DIGOD, SULTANPUR) : 7300051969,
7300077085, 7300051982, 9928996300, BUNDI : 9001997127, 7300052083,
NAINWA : 9001997131, KAPREN : 7300077071, JHALAWAR (KHANPUR,
AKLERA) : 9001997146, 9116668862, BARAN (ANTA, ATRU) : 7300077090,
7300077086, CHHABRA, CHIPABAROD : 7412033114, RAMGANJMANDI,
RAWATBHATA, ITAWA : 7300077072, BHAWANIMANDI : 9587897945

KOTA CITY SHOWROOM :
Ph.: 9784598109,
9829099081, 9928190836,
9799299975

DAKANIYA SHOWROOM :
Ph.: 9001997113, 9587898054,
9116019439, 8003297141,
9829045729, 8003297186

BUNDI : 9799497009, HINDOLI : 9001997142,
NAINWA : 9929112923, KAPREN : 9928354540
JHALAWAR : 9928318018, 8003297161, 9001997125,
AKLERA : 9414235808, BARAN : 90019 97115, 9929112922,
9116108646, ANTA : 9001997112, CHHABRA : 9001997114

RAMGANJMANDI : 9928997200
RAWATBHATA : 9116006059,
ITAWA : 9829187004,
SANGOD : 9928907200